



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 267 राँची, मंगलवार, 5 ज्येष्ठ, 1948 (श०)
26 मई, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

12 जनवरी, 2023

संख्या- स०क०/राज०नि०-5/2009-96--भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधीन झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2018 सह पठित झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2019 में निम्नांकित संशोधन करते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

- यह नियमावली "झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2023" कही जायेगी ।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2018 के नियम 12 (ख) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"12. (ख) विभागीय परीक्षा नियमावली के अनुसार राजस्व पर्षद (केन्द्रीय परीक्षा समिति) द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए आयोजित परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने के बाद ही प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि सम्पुष्टि एवं प्रोन्नति अनुमान्य होगी। प्रोन्नति के माध्यम से सेवा संवर्ग में आने वाले पदाधिकारियों को भी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ही वेतन वृद्धि का लाभ देय होगा। "

3. झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2018 की नियम 16 B. में लिखित मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित विषयों एवं अंक में संशोधन करते हुए उन विषयों से पोषण विज्ञान, बाल विकास एवं शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा (PHE) विषयों को विलोपित किया जाता है तथा मूल नियमावली की नियम 16 B. को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है -

"I. लिखित मुख्य परीक्षा हेतु निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाता है :-

(क) हिन्दी- 100 अंकों का होगा। हिन्दी के अंक Qualifying होंगे। Qualifying अंक 30 होगा। इसके अंक मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। हिन्दी विषय का पाठ्यक्रम दसवीं कक्षा के स्तर के होंगे।

(ख) सामान्य अध्ययन दो पत्र (प्रत्येक 100 अंकों) के होंगे।

(ग) वैकल्पिक विषय :-

- (i) गृह विज्ञान (ii) मनोविज्ञान (iii) समाजशास्त्र (iv) श्रम एवं समाज कल्याण विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में होंगे। इनमें से किन्हीं एक विषय का चयन अभ्यर्थी अपनी इच्छा से कर सकेंगे। वैकल्पिक विषयों के 2 (दो) पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र- 200 अंको का होगा। मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित विषयों के पाठ्यक्रम परिशिष्ट-III के रूप में संलग्न है।
- II. मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा 50 अंको का साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा। तत्पश्चात् आयोग द्वारा अंतिम मेधा सूची तैयार किया जायेगा।
4. झारखण्ड बाल विकास परियोजना सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2018 के नियम-16 C, नियम 16. C. (इ) (iii), नियम- 16. C. (इ) (vi), नियम-16. C. (ज) एवं नियम- 16. C. (झ) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है :-
16. C. न्यूनतम अर्हताओं की गणना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के अधतन संकल्प के अनुसार की जायेगी। न्यूनतम निर्धारित प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तत् पश्चात् ही अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी।

16 C. (इ) (iii) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित जॉब ओरियेन्टेशन प्रशिक्षण से संबंधित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ।

16 C. (ड) (vi) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधतन संकल्प के आलोक में विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन किया जायेगा ।

16. C. (ज) प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने हेतु अवसर की गणना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधतन संकल्प के अनुरूप होगी ।

16. C. (झ) इसकी नियुक्ति प्राधिकार राज्य सरकार होगी ।

5. झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2018 सह पठित झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2019 की अन्य नियम यथावत् रहेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कृपा नन्द झा,
सरकार के सचिव
